भारत सरकार
विधि और न्याय मंत्रालय
न्याय विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 896
जिसका उत्तर शुक्रवार, 29 नवम्बर, 2024 को दिया जाना है

जटिल विधि प्रणाली

896. श्री देवेश चन्द्र ठाकुर :

क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि **:**

(क) क्या देश में उच्च लागत और जटिल विधिक प्रणाली के कारण दलितों, पिछड़े वर्गों और गरीबों को न्याय नहीं मिल पा रहा है ;

(ख) यदि हां, तो सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है ; और

(ग) सरकार द्वारा कानूनी प्रक्रिया को तेज और सस्ता बनाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है ताकि उपर्युक्त वर्गों को न्याय मिल सके ?

उत्तर

विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार);
संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री अर्जुन राम मेघवाल)

(क) और (ख) : जी नहीं । सरकार अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्गों और समाज के अन्य आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को न्याय तक पहुंच प्रदान करने के लिए हरसंभव प्रयास कर रही है । अधिनियम की धारा 12 के अधीन आने वाले समाज के कमजोर वर्गों जिसके अंतर्गत फायदाग्राही भी है को मुफ्त और सक्षम विधिक सेवाएं प्रदान करने के लिए विधिक सेवा प्राधिकरण (एलएसए) अधिनियम, 1987 के अधीन राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (नाल्सा) का गठन किया गया है, यह सुनिश्चित करने के लिए कि आर्थिक या अन्य निःशक्तता के कारण किसी भी नागरिक को न्याय प्राप्त करने के अवसरों से इनकार नहीं किया जाता है, और लोक अदालतों का आयोजन किया जाता है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि विधिक प्रणाली के संचालन से समान अवसरों के आधार पर न्याय को बढावा मिले ।

इस प्रयोजन के लिए, तालुक न्यायालय स्तर से उच्चतम न्यायालय तक विधिक सेवा संस्थाओं की स्थापना की गई है । विधिक सेवा प्राधिकारियों द्वारा किए गए क्रियाकलापों/ कार्यक्रमों में विधिक सहायता और सलाह; विधिक जागरूकता कार्यक्रम; विधिक सेवाएं/ सशक्तिकरण शिविर; विधिक सेवा क्लीनिक; विधिक साक्षरता क्लब; लोक अदालत और पीड़ित प्रतिकर स्कीम का कार्यान्वयन सम्मिलित है ।

(ग) : न्याय तक त्वरित और साम्यपूर्ण पहुँच को समर्थ बनाने के लिए राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (नाल्सा) ने साधारण जन की विधिक सहायता तक सरल पहुँच के लिए समर्थ बनाने हेतु एंड्रॉयड और आईओएस संस्करणों पर विधिक सेवा मोबाइल ऐप आरंभ किया है।

इसके अतिरिक्त, "भारत में न्याय तक समग्र पहुँच के लिए नूतन समाधानों को डिजाइन करना" शीर्षक के अधीन न्याय तक पहुँच के लिए भारत सरकार द्वारा एक स्कीम को कार्यान्वित किया जा रहा है जिसका उद्देश्य टेली ला के माध्यम से मुकदमा पूर्व सलाह और परामर्श को ; न्याय बंधु (प्रो-बोनो विधिक

सेवा) के माध्यम से प्रो-बोनो विधिक सेवाएं प्रदान करने के लिए अखिल भारतीय परिदान तंत्र सुनिश्चित करना तथा अखिल भारतीय विधिक साक्षरता और विधिक जागरूकता कार्यक्रम के माध्यम से नागरिकों को सशक्त करना है । इस स्कीम में प्रौद्योगिकी का उपयोग और संदर्भ के आधार पर आईईसी(सूचना, शिक्षा और संपर्क) सामग्री का प्रादेशिक/ स्थानीय बोलियों में विकास करना सम्मिलित है ताकि उसके मध्याक्षेप में सहायता की जा सके और समाज के निर्धन और कमजोर वर्गों को विधिक सेवाओं में सरलता से पहुँच को हासिल किया जा सके । स्कीम के अधीन ये सभी सेवाएं अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों और समाज के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के नागरिकों को निशुल्क उपलब्ध कराई जाती हैं।

****